

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

E-Mail- caodlb@gmail.com

Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(323)लेखा/डीएलबी/मांगरोल/2016/ 15407

दिनांक 27.12.16

—:: आदेश ::—

विषय : नगर पालिका, मांगरोल को मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के क्रम में राशि रूपये 1305.78 लाख की स्वीकृति।

नगर पालिका, मांगरोल को मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के क्रम में विभिन्न कार्यों हेतु राशि रूपये 1305.78 लाख (अक्षरे तैरह करोड़ पाँच लाख अठेत्तर हजार मात्र) की महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय आदेश क्रमांक 10699 दिनांक 18.10.2016 द्वारा जारी की गयी थी। उक्त हेतु निम्न बजट मद में अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-मांगरोल (DDO Code 11089) को आहरण वितरण अधिकारी की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करते हुये बजट आवंटन की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता

(03)- विशेष अनुदान

[00]

12 -सहाय्यतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)

उक्त हेतु वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आईडी क्रमांक 171601185 दिनांक 20.12.2016 के द्वारा प्राप्त कर ली गयी है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक 27.12.16

क्रमांक : प.6(ट)(323)लेखा/डीएलबी/मांगरोल/2016/ 15408-457

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. संयुक्त सचिव (ए.एस.), मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, मा0मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
05. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
06. जिला कलेक्टर, बांरा।
07. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर को उक्त स्वीकृति के अनुसार अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मांगरोलको आहरण वितरण अधिकारी की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करते हुये राशि रूपये 1305.78 लाख हस्तांतरित करने की कार्यवाही कराने हेतु।
08. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
09. मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त, बांरा।
11. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
12. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, बांरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. उप निदेशक सांख्यिकी एवं प्रमारी बी.आई.पी/बी.वी.आई.पी. प्रकोष्ठ, निदेशालय।
14. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड मांगरोल।
15. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, मांगरोल।
16. सुरक्षित पत्रावली।

(हुलास चय पवार)  
मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(357)वित्त-1(1)आय.व्य/2015

जयपुर, दिनांक : 29.12.2016

आज्ञा

निर्देशानुसार निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की स्वीकृति के क्रम में निम्न सारणी में अंकित अधिकारी को वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्न लेखा शीर्ष में इस स्वीकृति में अंकित राशि के विभागीय दिशा निर्देशों तथा नियमों के अनुसार आहरण के लिए आहरण वितरण अधिकारी के अधिकार प्रदत्त किए जाते हैं:-

मांग संख्या -29

- 2217 - शहरी विकास  
80 - सामान्य  
192 - नगरपालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता  
(03) - विशेष अनुदान  
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)

क्रसं	विभागीय स्वीकृति क्रमांक	आहरण एवं वितरण अधिकारी	राशि (लाखों में)
1.	पत्र क्रमांक प. 6 (ट)(323)/ लेखा/DLB/मांगरोल/2016 /15407-457 दिनांक 27.12.2016	अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-मांगरोल (DDO Code 11089)	1305.78

(अक्षरे रूपये तेरह करोड़ पांच लाख अठेत्तर हजार)

उक्त राशि का उपयोग संबंधित प्रयोजन के लिये ही किया जावे। किसी भी परिस्थिति में अन्य प्रयोजनार्थ उक्त राशि का व्यय नहीं किया जावे। संबंधित आहरण वितरण अधिकारी इस राशि के व्यय की मासिक सूचना स्वायत्त शासन विभाग को देंगे तथा इस व्यय के अंकमिलान का दायित्व स्वायत्त शासन विभाग का होगा।

आज्ञा से

  
(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-1) राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-मांगरोल।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, बारां।
6. तकनीकी निदेशक, एन. आई. सी., शासन सचिवालय को भेजकर लेख है कि उक्त मद WAM में MAP कराने की व्यवस्था करावें।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)